न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 132/2020 **RCMS 2020/00540**

वादी

1. इन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

कल्याणसिंह पुत्र देवीसिंह के वारिसान :–

1. रघुवीरसंह पुत्र स्व. हनुमानसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र स्व. हनुमानसिंह
3. गिरधर कंवर पत्नी स्व. हनुमानसिंह

नारायणसिंह पुत्र देवीसिं के वारिसान :–

4. जगदीशसिंह पुत्र नारायणसिंह
5. भवानीसिंह पुत्र नारायणसिंह
6. जब्बरसिंह पुत्र गुलाबसिंह
7. ज्ञानसिंह पुत्र गुलाबसिंह
8. विजेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह
9. नन्दू कंवर पत्नी गुलाबसिंह प्रतिवादी सं. 1 से 9 सभी जाति राजपूत निवासीगण रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा अधिकारो की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 9 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 11·10·2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 812 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 878 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 934 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 6.31 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज कल्याणसिंह, रूपसिंह एवं नारायणसिंह पिसरान देवीसिंह के खातेदारी में अवस्थित रही है, कल्याणसिंह रूपसिंह नारायणसिंह का स्वर्गवास हो चुका है वादी स्वर्गीय रूपसिंह का वारिस होने से एवं प्रतिवादीगण 1 से 9 स्वर्गीय कल्याणसिंह व नारायणसिंह के विधिक वारिसान है इसलिए धारा 41 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत उक्त वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार हो गये है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्नवत है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:24 IST
Reason: SelfAttested

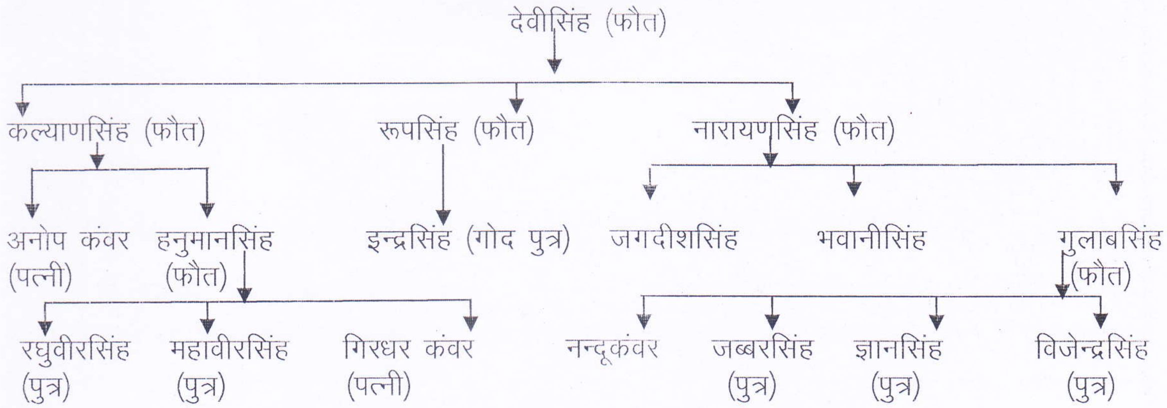

रूपसिंह पुत्र स्व.देवीसिंह शादीसुदा नही थे रूपसिंह ने जाति रिवाज के अनुसार वादी को गोद लिया, रूपसिंह जी की सेवा चाकरी वादी द्वारा की गई, रूपसिंह पुत्र देवीसिंह का स्वर्गवास दिनॉक 14.01.2000 को हो चुका है, रूपसिंह पुत्र देवीसिंह का स्वर्गवास होने पर वादी द्वारा सभी धार्मिक क्रियाक्रम हिन्दू रीति रिवाज अनुसार सम्पन्न किये गये एवं गंगा प्रसादी वादी द्वारा की गई, रूपसिंह जी के पाग का दस्तूर भी वादी के किया गया। रूपसिंह पुत्र देवीसिंह एंव देवीसिंह के सभी वारिसान ने दिनॉक 27.09.1994 को सभी भाई बन्धुओ के समक्ष वादी को रूपसिंह का उत्तराधिकार स्वीकार करते हुय एवं रूपसिंह जी के हक हिस्से की 1/3 भूमि वादी की होने की लिखत पांच रूपये के स्टाम्प पर वादी के पक्ष में लिख दी एवं एक लिखित रूपसिंह जी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने वादी के पक्ष में दिनॉक 11.7.1991 को लिखकर दी, वादी वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है, पटवारी हल्का को वादी के पक्ष में की गई उत्तराधिकारी सम्बन्धित लिखित दी गई परन्तु पटवारी हल्का एवं प्रतिवादी सं. 10 ने मान्यता नही दी इसलिए वाद लाना आवश्यक हुआ, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 812 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 878 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 934 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 6.31 हैक्टर में वादी का 1/3 हिस्सा है उक्त खसरो में रूपसिंह पुत्र देवीसिंह का नाम हटाये जाने के आदेश फरमावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 9 ने [illegible] स्वीकार करते हुए दिनॉक 10.03.2021 को इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 10 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे। जिससे [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 से 9 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा इस्तदुआ अनुसार रेकार्ड [illegible] अमल दरामद किये जाने की सहमती प्रदान की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:24 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से दिनॉक 11.07.1991 की लिखित स्टाम्प पेपर पांच रूपयें की मूल प्रति प्रस्तुत की रूपसिंह पुत्र देवीसिंह के मृत्यु प्रमाण

प्रमाण की प्रति, जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की प्रति प्रस्तुत की तथा मौखिक साक्ष्य में वादी इन्द्रसिंह का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रूपसिंह पुत्र देवीसिंह के 1/3 हिस्से के स्थान पर वादी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। नकल खतौनी सम्वत 2073–2076 निम्नवत है :–

ग्राम का नाम :- रूपपुरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- रूपपुराटोरडा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 203
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 178

काश्तकार का नाम:-

1. नारायणसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
2. मदनकंवर पुत्री हनुमानसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
3. महताबकंवर पुत्री कल्याणसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
4. महावीरसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
5. रघुवीरसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
6. रतनकंवर पुत्री कल्याणसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
7. रूपसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
8. राजूकंवर पुत्री हनुमानसिंह हिस्सा- 1/18 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
3	0.1200	गै.मु.बाङा	0.1200			स्वीकृत नामांतरकरण : 604 22/06/2021 विरासत	
812	1.4600	बारानी 2	1.4600	5.84			
813	1.9000	बारानी 2	1.9000	7.60			
821	0.7300	बारानी 2	0.7300	2.92			
876	0.1800	बारानी 2	0.1800	0.72			
878	1.7400	बारानी 2	1.7400	6.96			
934	0.1800	बारानी 2	0.1800	0.72			
कुल खसरे - 7	6.3100		6.3100	24.7600			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:24 IST
Reason: SelfAttested

मृत्यु प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रीकरण सं. 12[illegible] 09.07.2002 अनुसार रूपसिंह पुत्र देवीसिंह की मृत्यु दिनॉक [illegible] में हुई है, लिखित दिनॉक 11.07.1991 अनुसार प[illegible] स्वयं रूपसिंह के जीवनकाल में वादी इन्द्रसिंह के पक्ष में लिखी गई है तथा र[illegible]सिंह का हक हिस्सा 1/3 वादी इन्द्रसिंह को दिये जाने का कथन अभिलखित है, उक्त स्टाम्प पर लिखित की हुई है जिसमें रूपसिंह पुत्र देवी सिंह एवं नारायणसिंह पुत्र देवीसिंह एवं गुलाबसिंह पुत्र देवीसिंह के हस्ताक्षर है तथा परिवार के अन्य सदस्य एवं समाज के मौजिज अन्य व्यक्तियों के समक्ष लिखी गई है, इस लिखित में अंकित तथ्यों से साबित होता है कि उपरोक्त भूमि में वादी के पक्ष में लिखित 1/3 हिस्सा रूपसिंह द्वारा अपने

जीवनकाल में ही निष्पादित कर दिया था, वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में भी उक्त सभी कथन अंकित है। वादी ही एक मात्र उक्त वादग्रस्त भूमि को लेकर हकदार है इस तथ्य की पुष्टि उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होती है। वादी भविष्य में नारायणसिंह के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही होगा। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वाद वादी काबिल डिक्री योग्य होने निम्न प्रकार काबिल डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 812 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 878 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 934 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 6.31 हैक्टर में रूपसिह पुत्र देवीसिंह हिस्सा–1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार का नाम हटाया जाता है इसके स्थान पर वादी इन्द्रसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 11.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 132/2020 **RCMS 2020/00540**

वादी

1. इन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह दत्तक पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

कल्याणसिंह पुत्र देवीसिंह के वारिसान :–

1. रघुवीरसंह पुत्र स्व. हनुमानसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र स्व. हनुमानसिंह
3. गिरधर कंवर पत्नी स्व. हनुमानसिंह

नारायणसिंह पुत्र देवीसिं के वारिसान :–

4. जगदीशसिंह पुत्र नारायणसिंह
5. भवानीसिंह पुत्र नारायणसिंह
6. जब्बरसिंह पुत्र गुलाबसिंह
7. ज्ञानसिंह पुत्र गुलाबसिंह
8. विजेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह
9. नन्दू कंवर पत्नी गुलाबसिंह प्रतिवादी सं. 1 से 9 सभी जाति राजपूत निवासीगण रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा अधिकारो की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी डिक्री किया जाता है ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 812 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 813 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 821 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 878 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 934 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 6.31 हैक्टर में रूपसिह पुत्र देवीसिंह हिस्सा–1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार का नाम हटाया जाता है इसके स्थान पर वादी इन्द्रसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 10 सन् 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत.................................

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) (मोहर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:24 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपयें	पैसे	मु[illegible]	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			[illegible] अर्जी [illegible]		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]किल		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]न		
खर्चा गवाहन			फिस [illegible]नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।